

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : नाथक तहसीलदार

मुकाम : सूरजगढ़

सरकार

बनाम

जल ग्रहण उप समिति पीपली

किस्म मुकदमा - अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्र. सं.- 150/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.9.2017	आज यह रिपोर्ट पटवारी हल्का ने पेश की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.9.2017 को पेश हो। <i>ef</i>	
14.9.2017	पत्रावली पेश हुई। सरपंच ग्राम पंचायत पीपली हाजिर होकर जवाब देते हुए अवसर चाहे। अंतः पत्रावली दिनांक 22.9.17 को पेश हो। <i>ef</i>	शुभाकुमार (सरपंच)
22.9.17	पत्रावली पेश हुई। सरपंच ग्राम पंचायत पीपली उपस्थित। सरपंच द्वारा हाजिर अडालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ग्राम पीपली के बरखाना जो एड खलरा नं. 164 के पुरखमंती जल संचालन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक जल कुण्ड का निर्माण किया गया। जसाब के संलग्न सामिल पंचायत समिति सूरजगढ़ की नकली स्वी प्रति आदेश संख्या 82 दिनांक 30.12.16 की अंतः संलग्न की। पत्रावली का आवलोकन किया गया कि जैर इकायिज जो एड के पुरखमंती जल संचालन योजना के तहत सार्वजनिक सामिल से स्वी प्रति जारी होये पर सार्वजनिक जल कुण्ड का निर्माण किया गया है तथा	शुभाकुमार (सरपंच)

अवधि का है, बात पता चलाने का
साथ नहीं किया जाता न्यायोचित नहीं है।
है उक्त का ही किया जाता है, धर्म के
केसल सुभास है नमकर लेकी जाकर १९९५
१५५५ है । नमस्कार

गैर मुक्तित्व जोड़ने में जल संग्रहण के कार्य में
ही प्रयुक्त होता है। अधिक विस्तार के प्रयोजन
से सम्बन्धित कार्य ही किया गया है। जलकुंड में
जल संग्रहण के कार्य हेतु ही बनाया गया है
तथा सफ़्त कार्यालय की स्वीटिंग से
बनाया गया है। काल पर्यावर्ती में आर्थिक
कार्य नहीं किया जायेगा न्यायोचित नहीं है।
से प्रकरण द्रोप किया जाता है। पर्यावर्ती
केसल मुक्तित्व से नमकद लक्ष्मी जाकर दारुण
दरमद है। 1 सिद्ध